न्यायालय :आर.एस.शर्मा विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दमोह (म.प्र.)

Registration No.-01/2019
Filing No.27/2019
CNR No. MP-3401-000027 -2019
Filing Date-03-01-2019

मध्य प्रदेश राज्य
द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना हटा,
जिला दमोह (म.प्र.)

.....अभियोजन

विरूद्ध

1. प्रीतम आत्मज नारायण सींग लोधी, उम्र 36 वर्ष
2. हरिसींग आत्मज सूरज सींग लोधी, उम्र 46 वर्ष
दोनों निवासी– ग्राम कुटरी टपरिया, थाना हटा जिला दमोह

.....अभियुक्तगण

पुलिस थाना हटा, जिला दमोह के अपराध क्र.610/2018 से उद्भूत विशेष प्रकरण।

———————————————————————————————

अभियोजन की ओर से :– श्री राजीव सिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण की ओर से :– श्री भरत सेन, अधिवक्ता।

———————————————————————————————

:::: निर्णय ::::

(आज दिनांक **06.03.2020** को पारित)

01. वर्तमान में अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि दिनांक 24.10.2018 को 21:00 बजे मुकाम ग्राम कुटरी टपरिया में स्वयं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए और यह जानते हुए कि अच्छेलाल अहिरवार अनुसूचित जाति का सदस्य है, उसे लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त किया एवं स्वेच्छया घोर उपहति कारित कर एस.सी.एस.टी. एक्ट की अनुसूची में वर्णित अपराध करके धारा 3(2)(v-a) तथा 3(1)(r) एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध किया।

02. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 325 भा.द.सं. विकल्प में धारा 325/34 भा.द.सं. का भी आरोप था, जिससे राजीनामा के फलस्वरूप उन्हें दोषमुक्त किया जा चुका है।

03. अभियोजन का पक्ष यह है कि दिनांक 24.10.2018 को 21:00 बजे कथित पीड़ित अच्छेलाल अहिरवार (अ.सा.1) अपने खेत पर मोटर चालू करने गया था। अभियुक्त प्रीतम सींग एवं हरिसींग वहां आ गये और मोटर चालू करने को मना करने लगे। अभियुक्तगण कहने लगे कि तुम किराये की मोटर क्यों चलाते हो

अपनी चलाओ। कथित पीड़ित नहीं माना और मोटर चालू करने लगा तो अभियुक्तगण गाली गलौच करने लगे और लाठी मारने को दौड़े। कथित पीड़ित ने बचाव में हाथ लगाया तो उसे दांये हाथ के अंगूठा में चोट आई। कथित पीड़ित ने थाना हटा में अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना की रिपोर्ट लिखाई, जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्र. 610/18 धारा 323, 325/34 भा.द.सं. एवं 3(2)(v-a) एस.सी.एस.टी. एक्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 पंजीबद्ध किया गया। विवेचनोपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04. अभियुक्तगण का बचाव है कि वे निर्दोष हैं।

05. **निराकरणीय प्रश्न यह है कि :–**

(1) क्या अभियुक्तगण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं ?

(2) क्या कथित पीड़ित अच्छेलाल अनुसूचित जाति का सदस्य है ?

(3) क्या अभियुक्तगण ने अच्छेलाल को स्वेच्छया घोर उपहति कारित कर अनुसूची में वर्णित अपराध करके धारा 3(2)(v-a) एस.सी.एस.टी. एक्ट के अंतर्गत अपराध किया ?

(4) क्या अभियुक्तगण ने स्वयं अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य न होते हुए और यह जानते हुए कि अच्छेलाल अनुसूचित जाति का सदस्य है, उसे लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त किया ?

सकारण निष्कर्ष:–

निराकरणीय प्रश्न क्र. 1 व 2

06. अच्छेलाल अहिरवार (अ.सा.1) के अनुसार वह अभियुक्तगण को पहचानता है। अभियुक्तगण अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य नहीं हैं, जबकि वह स्वयं 'अहिरवार' जाति का है और अनुसूचित जाति का सदस्य है। दौरान प्रतिपरीक्षण साक्षी से कोई प्रश्न नहीं किया गया है। अतः इसे स्वीकृत माना जायेगा। इस संबंध में न्यायदृष्टांत रामलाल विरूद्ध म.प्र. राज्य 1993 जे.एल.जे. 125 (डी.बी.) एवं सीरूमल विरूद्ध अन्नपूर्णा देवी 2000 (2) एम.पी.जे.आर. 474 (डी.बी.) अवलोकनीय है। जिसमें यह अवधारित किया गया है कि जिन तथ्यों को प्रतिपरीक्षण में विवादित न किया जाय, उसे स्वीकृत माना जायेगा। अतः उपरोक्त साक्षी की अखण्डित साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि अभियुक्तगण अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य नहीं हैं, जबकि कथित पीड़ित अच्छेलाल अनुसूचित जाति का सदस्य है।

निराकरणीय प्रश्न क्र. 3 से 4

07. कथित पीड़ित अच्छेलाल अहिरवार (अ.सा.1) के अनुसार एक साल पहले रात के 08.00 बजे वह अपने खेत पर सिंचाई कर रहा था। अभियुक्त प्रीतम खेत में रस्सी डाले हुए था। वह मोटर बंद करने डी.पी. के पास जा रहा था, तो रास्ते में रस्सी में फंसकर गिर पड़ा, जिससे उसे चोट आई थी। इसके अलावा उसके साथ कोई घटना नहीं हुई। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर पूछे गये सूचक प्रश्न में उसने केवल इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है एवं उसे आदिम जाति कल्याण विभाग से इस प्रकरण के संबंध में राहत राशि मिली थी। लेकिन अभियोजन की तरफ से दिए गए इस सुझाव को गलत बताया है कि राजीनामा हो जाने के कारण वह सही बात नहीं बता रहा है। उसने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने, लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर साशय अपमानित करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर पूछे गये सूचक प्रश्न में उसने अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कथन नहीं किया है।

08. उप निरीक्षक प्रदीप चौधरी (अ.सा. 2) के अनुसार कथित पीड़ित अच्छेलाल अहिरवार ने उप निरीक्षक सुचि गोस्वामी को मौखिक रूप से यह बताया कि दिनांक 25.10.2018 को 9 बजे जब वह अपने खेत में मोटर चालू करने गया था तो प्रीतम सिंह और हरिसींग आये और मोटर चालू करने से मना किया। अभियुक्तगण ने उसे गाली दिया और मारने दौड़े जिससे उसके दाहिने अंगूठा में चोट आयी। उसने कथित पीड़ित तथा अन्य साक्षियों के कथन लिये थे। आहत का मेडिकल परीक्षण कराया था। आहत के दांहिने हाथ के अंगूठे में फैक्चर होना पाया गया था। उसने अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 610/2018 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.4 लेखबद्ध किया था। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.4 सारभूत साक्ष्य नहीं है, उसका उपयोग केवल सम्पोषक साक्ष्य के रूप में हो सकता है। जब स्वयं आहत अच्छेलाल ने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किए जाने और गाली–गलौच किए जाने से इंकार किया है, उसने स्वयं द्वारा एफ. आई.आर. लिखाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन की तरफ से उसे कोई ऐस सुझाव नहीं दिया गया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी.4 लिखवाया था। ऐसी दशा में उपनिरीक्षक प्रदीप चौधरी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अतः यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण ने आहत अच्छेलाल को स्वेच्छया घोर उपहति कारित कर अनुसूची में वर्णित अपराध करके धारा 3(2)(v-a) एस. सी.एस.टी. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध किया और लोकदृष्टिगोचर स्थान पर आहत को अपमानित करने के आशय से अपमानित या अभित्रस्त किया। अतः अभियुक्तगण आरोपित सभी अपराध से दोषमुक्ति के अधिकारी हैं।

09. उक्त विवेचन के फलस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 3(2)(v-a) तथा

3(1)(r) एस.सी.एस.टी. एक्ट के अपराध के आरोप में निर्दोष ठहराते हुए **दोषमुक्त** किया जाता है।

10. अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में प्रकरण में जब्तशुदा लाठी नष्ट किया जाय।

11. चूंकि कथित पीड़ित अच्छेलाल अहिरवार ने अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ कोई घटना कारित न किया जाना बताया है। ऐसी दशा में यदि उसे कोई प्रतिकर राशि अदा की गई है तो उसकी शासन द्वारा वसूली की जा सकती है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **जितेन्द्र पटेल विरूद्ध म.प्र. राज्य सी.आर.ए. क्र. 2455/2018 निर्णय दिनांक 02.05.2018** अवलोकनीय है। जिसमें यह अवधारित किया गया है कि जहां अभियोक्त्री पक्षद्रोही हो गयी है तो राज्य सरकार उसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दिये गये प्रतिकर को वसूल सकती है।

12. अतः यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आहत अच्छेलाल आत्मज प्यारेलाल अहिरवार उम्र 80 वर्ष निवासी ग्राम कुटरी टपरिया थाना हटा जिला दमोह को प्रतिकर दिया गया है, तो शासन द्वारा उसे वसूल किया जा सकता है। अतः प्रतिकर की राशि की वसूली हेतु जिला दण्डाधिकारी, दमोह को आदेश की प्रतिलिपि भेजी जाय।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित।

सही/–
(आर.एस.शर्मा)
विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटीज)
दमोह

मेरे निर्देश पर टंकित।

सही/–
(आर.एस.शर्मा)
विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटीज)
दमोह

GAURAV SHUKLA Digitally signed by GAURAV SHUKLA Date: 2020.03.07 16:23:41 +0530